न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सत्यनारायण आमेटा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 11/2015

तारीख दायरा—19.03.2015

तारीख निर्णय—30.05.2016

1. श्री बाबुलाल पिता खेमा कुम्हार निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता खेमा कुम्हार निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री रतनलाल पिता भंवरलाल कुम्हार निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
3. रूकमणी पुत्री भंवरलाल कुम्हार पत्नी लक्ष्मण निवासी नान्देशमा हाल ढोल।
4. श्रीमती भंवरी बेवा भंवरलाल कुम्हार निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री कुशालसिंह राणावत

प्रतिवादी की ओर से— श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 9898, 9899, 9900, 9901, 9902 किता 05 कुल रकबा 0.3550 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजियात में वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर मौखिक बंटवाडे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि का रेकार्ड में बंटवाडा नही होने से आये दिन लडाई झगडा होता रहता है। भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी अपने हिस्से की भूमि का विकास भी नही कर पा रहा है एवं भूमि का संपरिवर्तन भी नही करा पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी

एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण पेश, होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। वादग्रस्त आराजियात के विभाजन में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ती नही होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा नान्देशमा पटवार क्षेत्र नान्देशमा की आराजी नम्बर 9902 रकबा 0.1050, 9900/3 रकबा 0.0100 किता 02 कुल रकबा 0.1150 है0 भूमि का बाबुलाल पिता खीमराज कुम्हार, आराजी नम्बर 9901 रकबा 0.1000, 9900/1 रकबा 0.0100 किता 02 कुल रकबा 0.1100 है0 भूमि का मोहनलाल पिता खीमराज कुम्हार, आराजी नम्बर 9900 रकबा 0.1000, 9900/2 रकबा 0.0100 किता 02 कुल रकबा 0.1100 है0 भूमि का रतनलाल, रूकमणी पिता भंवरलाल, भंवरी बेवा भंवरलाल कुम्हार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आराजी नम्बर 9898 रकबा 0.0100, 9899 रकबा 0.0100 किता 02 कुल रकबा 0.0200 है0 भूमि बाबुलाल, मोहनलाल पिता खीमराज 2/3, रतनलाल, रूकमणी पिता भंवरलाल, भंवरीबाई बेवा भंवरलाल 1/3 कुम्हार के संयुक्त खातेदारी में रखी जाती है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
उपखण्ड़ अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर